

कार्यालय- डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 12 एवं 13 भा.ना.सु.सं.)

देवास, दिनांक 25.11.2024

क्रमांक 170/सीजेएम/2024

तहसील स्थापना सोनकच्छ में पदस्थ श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ जिला देवास की पदोन्नति हो जाने से एवं श्री शुभम गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ जिला देवास की नियमित पदस्थापना होने से इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 104/सीजेएम/2024 देवास, दिनांक 10.04.2024 में कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है :-

- 1- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 5 के क्रमांक 11 के समक्ष अंकित कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के अतिरिक्त न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ, जिला देवास का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ, जिला देवास का नाम समाविष्ट किया जाता है।
- 2- इसी प्रकार कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 14 में तहसील स्थापना सोनकच्छ के संबंध में धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन हेतु "नोट क्रमांक-1" में क्र. 7 के समक्ष कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), जे.एम.एफ.सी. शब्द विलोपित कर उसके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. समाविष्ट किया जाता है।
- 3- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 15 में तहसील स्थापना सोनकच्छ के संबंध में धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन हेतु "नोट क्रमांक-2" में क्र. 4 के समक्ष कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), जे.एम.एफ.सी. शब्द विलोपित कर उसके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. समाविष्ट किया जाता है।
- 4- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 16 में तहसील स्थापना सोनकच्छ के संबंध में धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत कथन हेतु "नोट क्रमांक-3" में क्र. 4 के समक्ष कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), जे.एम.एफ.सी. शब्द विलोपित कर उसके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. समाविष्ट किया जाता है।

5- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 17 में प्रभार की कंडिका 14 में कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), जे.एम.एफ.सी. शब्द विलोपित कर उसके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. समाविष्ट किया जाता है।


6- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्र. 20 में सामान्य निर्देश की कंडिका 5 में कु. स्वाति बजाज (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल), जे.एम.एफ.सी. शब्द विलोपित कर उसके स्थान पर श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. समाविष्ट किया जाता है।



(डॉ. रविकान्त सोलंकी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला देवास (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित

अनुमोदित,



(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास